न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 20/2022

मांगु सिंह पुत्र श्री केशर सिंह, आयु 62 वर्ष, जाति– राजपूत, निवासी– ग्राम मुण्डोती, तहसील – किशनगढ़, जिला– अजमेर (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ
2. अजित सिंह पुत्र भवंर सिंह
3. खेम सिंह पुत्र नारायण सिंह
4. जय सिंह पुत्र भंवर सिंह
5. दरियाव पत्नि नौरत
6. नौरती पत्नि अर्जुन
7. प्रियका पुत्री भंवर सिंह
8. मान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
9. विक्रम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
10. विमला पुत्री नारायण
11. श्योजी पुत्र घीसा
12. सतपाल सिंह पुत्र भवंर सिंह

    सर्वजाति– दरोगा, निवासीगण – ग्राम मुण्डोती, तहसील – किशनगढ, जिला– अजमेर

13. भंवरा पुत्र बीजा
14. हनुमान पुत्र भागु
15. श्योजी पुत्र भागु
16. विश्राम पुत्र भागु

    सर्वजाति– जाट, निवासीगण ग्राम मुण्डोती, तहसील– किशनगढ, जिला– अजमेर

17. विश्राम पुत्र सुजा
18. रामधन पुत्र सुजा
19. रामचन्द्र पुत्र सुजा
20. भागु पुत्र ज्वारा
21. रतना पुत्र ज्वारा

    सर्वजाति– जाट, निवासीगण ग्राम मुण्डोती, तहसील– किशनगढ, जिला– अजमेर

22. भंवर सिंह पुत्र महावीर सिंह
23. मदन कंवर पत्नि महावीर सिंह
24. विक्रम सिंह पुत्र महावीर सिंह
25. शोभाग कंवर पुत्री महावीर सिंह

    सर्वजाति– राजपूत, निवासीगण ग्राम मुण्डोती, तहसील – किशनगढ़, जिला– अजमेर

26. छीतर पुत्र श्योराम
27. श्योजी पुत्र श्योराम
28. सत्यनारायण पुत्र हरजी
29. बोदू पुत्र हरजी

    सर्वजाति– जाट, निवासीगण ग्राम मुण्डोती, तहसील– किशनगढ़, जिला– अजमेर

30. उगमा पुत्र लादू
31. गणेश पुत्र लादू
32. छीतर पुत्र छोटू
33. तेजा पुत्र छोटू
34. ना.बा. दीपक पुत्र सांवता जरीये सरक्षक माता हरकू
35. ना.बा. मनसौर पुत्री सांवता जरीये सरक्षक माता हरकू
36. रतना पुत्र लादू
37. रामनारायण पुत्र लादू
38. श्योजी पुत्र छोटू
39. हरकू पत्नि सांवता

    सर्वजाति– जाट, निवासीगण ग्राम मुण्डोती, तहसील– किशनगढ, जिला– अजमेर

40. यूनियन बैंक आफॅ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक बान्दरसिन्दी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड जरिये मदनगंज–किशनगढ शाखा प्रबन्धक
42. एच.डी.एफ.सी. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक किशनगढ
43. एच.डी.एफ.सी. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक सैंदरिया, अजमेर
44. एच.डी.एफ.सी. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक वैशाली नगर, अजमेर
45. भोलू पुत्र लादू, जाति–जाट, निवासी ग्राम मुण्डोती, तह०– किशनगढ़

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थित वकील प्रार्थीः– कुश कुमार
वकील अप्रार्थीः– महावीर मालाकार

दिनांक 27.01.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया प्रार्थी की खातेदारी का खेत जो कि राजस्व ग्राम – मुण्डोती, पटवार हल्का क्षेत्र– मुण्डोती, भू० अभि० नि० क्षेत्र– पाटन, तहसील– किशनगढ, जिला– अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर जमाबन्दी सम्वत् 2077 के अनुसार खसरा संख्या 201 है जिसका रकबा 1.3349 हैक्टेयर है। प्रार्थी की खातेदारी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर के खेत से लगती हुई सीमाओ के खेत के खसरा नम्बर क्रमशः 158, 197, 199, 200, 202, 204, 207 व 209 है जिनके खातेदारो को इस प्रार्थना पत्र में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर के सीमा ज्ञान हेतु तहसीलदार महोदय, किशनगढ़ के यहा आवेदन किया जिस पर तहसीलदार महोदय, किशनगढ़ ने आदेश क्रमांक 02 दिनांक 08.10.2015 को सीमाज्ञान के आदेश प्रदान किये जिसके अनुसरण में पटवारी मुण्डोती के द्वारा दिनांक– 23.10.2015 को सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थी के खातेदारी के खेत की सीमाओं से लगते हुए खेत जिसका खसरां संख्या 200 है जिस पर अप्रार्थी संख्या 17, 18 व 19 द्वारा पक्का निर्माण कर प्रार्थी की आराजी पर अवैध रुप से अतिक्रमण कर रहा है एवं दिनांक– 23.10.2015 को सीमाज्ञान किया गया था उस सीमाज्ञान के आधार पर बताई गई सीमाओं को जहां सीमा सम्बधी विवाद उत्पन्न हो रहा है उक्त अप्रार्थीगण द्वारा मानने से इंकार कर रहे है जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है। खसरा नम्बर– 199 के खातेदार श्री भागु पुत्र गोविन्द जाति– जाट, खसरा नम्बर–200 के खातेदार श्री सुजा पुत्र ज्वारा जाति– जाट, खसरा नम्बर– 207 के खातेदार घीसी पत्नि श्योराम व हरजी पुत्र श्योराम जाति– जाट फोत हो चुके है इसलिए इनके वारिसो को इस प्रार्थना पत्र में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र की सुनवाई का सम्पूर्ण श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र पर उचित न्यायिक स्टाम्प चस्पा है। अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 201 की सीमाओ का नाप कर सीमा चिन्ह लगवाते हुए पत्थरगढी के आदेश न्यायहित में प्रदान करे एवं प्रार्थी के हक में जो उचित हो आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2022 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 01 से 25 व 28, 30,31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 व 42, 45 को नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये। अप्रार्थी संख्या 23, 25, 32,39 एवं 41, 45 की ओर से वकील महावीर मालाकार द्वारा अन्डटेकिंग ली गई। दिनांक 08.07.2022 को प्रार्थी संख्या 41 की और से वकील श्री गोविन्द दास जी पुरोहित उपस्थित हुए दिनांक 19.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 27 व 29 को नोटिस प्राप्त हुए लेकिन उनकी और से कोई उपस्थित नही होने से 27 व 29 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 05.01.2023 को प्रार्थी संख्या 2 से 21, 26 एवं 28 तथा 40 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 05.01.2023 को अप्रार्थी संख्या 42, 43, 44 की और से जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी प्रतिवादी संख्या–31 गणेश पुत्र लादू, प्रतिवादी संख्या–37 रामनारायण पुत्र लादू एवं प्रतिवादी संख्या–38 श्योजी पुत्र छोटू के मिन प्रतिवादीगण बैंक के पक्ष में अपने हिस्से की आराजी को रहन रखकर उक्त आराजी पर कंजीसी के जरिये ऋण प्राप्त किया हुआ है तथा राजस्व रिकार्ड में रहन का नामान्तरकरण भी मिन अप्रार्थी बैंक के पक्ष में दर्ज है। जब तक उक्त ऋण राशि की अदायगी नही हो जाती है एवं राजस्व रिकार्ड में रहन फक नामान्तरण दर्ज नहीं हो जाता, तब तक राजस्व रिकार्ड में मिन अप्रार्थी बैंक के हकों तक किसी भी प्रकार की तब्दीली किया जाना न्यायोचित नही है। अतः जब तक मिन अप्रार्थी बैंक समस्त बकाया राशि की अदायगी नहीं हो जाती है, तब तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज बैंक के पक्ष

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

रहन आराजी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाकर बैंक के हक व अधिकारों को सुरक्षित व संरक्षित किया जावें। प्रार्थना–पत्र के मद संख्या–4 में दर्ज तथ्य प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण से सम्बन्धित है. जिसका विस्तृत जवाब अन्य अप्रार्थीगण द्वारा दिया जा सकता है। प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों से ही स्पष्ट है कि प्रार्थी का मुख्य विवाद अन्य अप्रार्थीगण के मध्य का है। प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण ने आपस में साज–बाज कर उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी माननीय न्यायालय से मिन अप्रार्थी के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मिन अप्रार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टतया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र के मद संख्या–5 में दर्ज तथ्य प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण से सम्बन्धित है. जिसका विस्तृत जवाब अन्य अप्रार्थीगण द्वारा दिया जा सकता है। प्रार्थी को मिन अप्रार्थी के विरूद्ध कभी कोई वाद कारण कभी उत्पन्न नही हुआ है। मिन अप्रार्थी के हक में विवादित आराजी रहन है एवं जब तक मिन अप्रार्थी बैंक को सम्पूर्ण अदायगी नहीं कर देती है. प्रार्थी, मिन अप्रार्थी के हक में रहन सम्पत्ति की हद तक कोई अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। इसलिये भी प्रार्थी के हकों तक वाद प्रार्थी काबिले खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में मिन अप्रार्थी के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा है। मिन अप्रार्थी को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। इस लिये वाद प्रार्थी मिन अप्रार्थी के खिलाफ खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मिन अप्रार्थी एक बैकिंग वित्तीय सस्थान है. जो वैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के तहत कार्य करती है, जिसका कार्यक्षेत्र बैंकिंग कार्य करना एवं विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, जो कि पब्लिक मनी डील करती है, जिसकी रक्षा करनें हेतु माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मिन अप्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन हिस्से तक प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जायें तथा जब तक मिन अप्रार्थी बैंक की समस्त ऋण की अदायगी नहीं हो जाती है, तब तक राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं किये जानें के आदेश फरमायें एवं मिन अप्रार्थी बैंक के हकों व अधिकारों को सुरक्षित रखने की कृपा करें।

दिनांक 05.02.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 23, 25, 30 से 39 व 45 विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 28.08.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 01, 22, 24 व 41 विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक 23.12.2024 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं अप्रार्थी संख्या 43, 44 के जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम मुण्डोती पटवार हल्का मुण्डोती खसरा संख्या 201 रकबा 1.3349 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है तथा 23.10.2015 को वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम – मुण्डोती, पटवार हल्का क्षेत्र– मुण्डोती, भू० अभि० नि० क्षेत्र– पाटन, तहसील– किशनगढ, जिला– अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर जमाबन्दी सम्वत् 2077 के अनुसार खसरा संख्या 201 है जिसका रकबा 1.3349 हैक्टेयर है, भूमि का मौके पर नाप जोप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 1,000/– रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें तथा पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें, कब्जे की वर्तमान स्थिती में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें। वादअधीन भूमि खसरा संख्या 201 का ऋण यदि प्रार्थी द्वारा अदा नहीं किया गया है तो वह पूर्वअनुसार रहेगा।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)